रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 9, 2018/फाल्गुन 18, 1939
No. 88] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 2018/PHALGUNA 18, 1939

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

(विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2018

सं. एसईआरबी/आरआर-एसईसीवाई/01/2016.—केन्द्रीय सरकार, विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 9) की धारा 21 के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (सचिव, सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भर्ती) विनियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (सचिव, सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भर्ती) (संशोधन) विनियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (सचिव, सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भर्ती) विनियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) में, विनियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में लेवल या वेतनमान : पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में लेवल या वेतनमान वे होंगे जो इन विनियमों से उपाबद्ध सूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।"।

3.उक्त विनियमों में, विनियम 4 को विनियम 4(1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और –

(क) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उप-विनियम (1) में "उन स्थानों पर तैनात अधिकारियों के तत्स्थानी वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान" अन्त में आने वाले शब्दों के स्थान पर "उन स्थानों पर तैनात अधिकारियों के वेतन मैट्रिक्स में तत्स्थानी स्तर या वेतनमान" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उप-विनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) बोर्ड का सचिव पांच वर्ष की अवधि के लिए या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तब तक पद धारण करेगा, जब तक केन्द्रीय सरकार के परामर्श से बोर्ड द्वारा उस अवधि को बढ़ा नहीं दिया जाता है ।"।

4. उक्त विनियमों में, विनियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"निरर्हता - कोई व्यक्ति,-

(क) जो भारतीय नागरिक नहीं है या जिसकी भारतीय नागरिकता का त्याग कर दिया है ; या

(ख) जो विकृतचित्त का है ; या

(ग) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(घ) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ।

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

परंतु बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और उस विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. उक्त विनियमों में, विनियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(7) खोज-सह-चयन समिति – बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, निम्नलिखित से मिलकर बनी खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर अपने सचिव की नियुक्ति कर सकेगा :-

(क) मंत्रिमंडल सचिव –अध्यक्ष

(ख) प्रधानमंत्री का अपर प्रधान सचिव –सदस्य

(ग) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग –सदस्य

(घ) सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग –सदस्य

(ङ) सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग –सदस्य ।"।

6. उक्त विनियमों की अनुसूची में,-

(क) स्तम्भ (4) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में लेवल या वेतनमान
(4)
वेतन मैट्रिक्स में लेवल 17 (2,25,000/- रुपए)।";

(ख) स्तम्भ (6) और स्तम्भ (7) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और

	अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
56 वर्ष से अनधिक। **टिप्पण :-** आयु सीमा अवधारण के लिए निर्णायक तारीख – (i) यदि पद, कैलेंडर वर्ष के प्रथम अर्द्ध में विज्ञापित किया जाता है तो कैलेंडर वर्ष की पहली जनवरी होगी ; और (ii) यदि पद कैलेंडर वर्ष के द्वितीय अर्द्ध में विज्ञापित किया जाता है तो कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई होगी ; और	**आवश्यक :** अनुसंधान परिणाम उपदर्शकों द्वारा यथामापित उत्कृष्ट अनुसंधान के सिद्ध अभिलेख के साथ विज्ञान या इंजीनियरी में डॉक्टरेट डिग्री। **अनुभव :** (i) मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों या सरकार की अनुसंधान संस्थाओं या अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं के संकाय या वैज्ञानिक के रूप में अनुसंधान तथा विकास में 18 वर्ष का अनुभव, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों या परियोजनाओं का प्रबंध करने का छह वर्ष का प्रशासनिक अनुभव भी है। (ii) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान पत्रिकाओं में प्रकाशित मूल अनुसंधान कार्य। **वांछनीय:** राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरी अकादमियों के अध्येतावृत्ति के रूप में उच्च वृत्तिक श्रेष्ठता तथा विज्ञान और इंजीनियरी के क्षेत्र में राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का साक्ष्य।

(ग) स्तम्भ (10) में,-

(i) टिप्पण 1 में, "तीन वर्ष से अनधिक" अन्त में आने वाले शब्दों के स्थान पर "पांच वर्ष से अनधिक" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) स्तम्भ (11) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधिकारी या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के संकाय सदस्य या वैज्ञानिक के ऐसे अधिकारी – (क) (i) जो मूल संगठन में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 16 (2,05,400-2,24,400/- रुपये) के पद पर एक वर्ष की सेवा ; या (iii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 (1,82,200-2,24,100/- रुपये) के पद पर दो वर्ष की सेवा ; औ (ख) जो स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता रखते हैं। टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष या अधिवर्षिता की आयु, जो भी पहले हो, से अधिक नहीं होगी। टिप्पण : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा स्तम्भ (6) के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

मधु वधावन सिन्हा, निदेशक

[विज्ञापन- III/4/असा./46/17]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या 001/2014/फा. सं. एसआर/एस9/जेड-08/2011, तारीख 24 अप्रैल, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and technology)

(SCIENCE AND ENGINEERING RESEARCH BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2018

No. SERB/RR-Secy/01/2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 read with section 21 of the Science and Engineering Research Board Act, 2008 (9 of 2009), the Science and Engineering Research Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Science and Engineering Research Board (Secretary, Terms and Conditions of Service and Recruitment) Regulations, 2014, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Science and Engineering Research Board (Secretary, Terms and Conditions of Service and Recruitment) (Amendment) Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Science and Engineering Research Board (Secretary, Terms and Conditions of Service and Recruitment) Regulations, 2014 (herein after referred to as the said regulations), for regulation 2, the following regulation shall be substituted, namely:—

"2. Number of post, classification, level in pay matrix or pay scale.– The number of post, its classification, level in the pay matrix or pay scale attached to the said post shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.".

3. In the said regulations, regulation 4 shall be re-numbered as regulation 4 (1) and —

(a) in sub-regulation (1) as so re-numbered, for the words "corresponding pay band and grade pay or pay scale stationed at those places" occurring at the end, the words "corresponding level in the pay matrix or pay scale" shall be substituted;

(b) after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

"(2) The Secretary to the Board shall hold office for a period of five years or till attaining the age of superannuation, whichever is earlier, unless extended by the Board in consultation with the Central Government."

4. In the said regulations, for regulation 6, the following regulation shall be substituted, namely:—

" *Disqualification.*— No person,—

(a) who is not an Indian citizen or have given up the Indian citizenship; or
(b) who is of unsound mind; or
(c) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(d) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Board may, if satisfied that the marriage referred to in clauses (c) and (d) is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulations.".

5. In the said regulations, for regulation7, the following shall be substituted, namely:—

"7. Search-cum-Selection Committee.— The Board may, in consultation with the Central Government, appoint its Secretary on the recommendations of the Search-cum-Selection Committee consisting of:—

(a) Cabinet Secretary	–Chairman;
(b) Additional Principal Secretary to the Prime Minister	– Member;
(c) *Secretary, Department of Science and Technology*	–Member;
(d) Secretary, Department of Biotechnology	– Member;
(e) Secretary – Department of Personnel and Training	– Member.".

6. In the said regulations, in the Schedule,—

(a) for column (4) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"Level in pay matrix or pay scale.
(4)
Level-17 in the pay matrix (Rs.225000/-).";

(b) for columns (6) and (7) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not exceeding 56 years. Note: The crucial date for determining the age-limit shall be— (i) 1st January of the calendar year, if the post is advertised in the first half of the calendar year; and (ii) 1st July of the calendar year, if the post is advertised in the second half of the calendar year.	**Essential:** Doctorate degree in Science or Engineering with proven track record of outstanding research as measured by research outcome indicators. **Experience :** (i) Eighteen years' experience in research and development as faculty or scientist of recognised national or international universities or research institutions or research and development laboratories of the Government, including administrative experience of six years of managing research and development programmes or projects in Science and Technology (ii) Original research work published in national and international research journals. **Desirable:** Evidence of high professional eminence by way of fellowships of national or international science and engineering academies and national or international awards in the field of science and engineering.

(c) in column (10),—

(i) in Note 1, for the words "not to exceed three years" occurring at the end, the words "not to exceed five years" shall be substituted;

(d) for column (11) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which the promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Deputation (including short term contract): Officer of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Public Sector Undertakings or faculty member or scientist of universities or recognised research institutions or semi-Government or statutory or autonomous organisations— (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent organisation; or (ii) with one year service in a post in level 16 in the pay matrix (Rs.205400-224400/-); or (iii) with two years, service in a post in level 15 in the pay matrix (Rs.182200-224100/-); and (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The period of deputation, including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years or superannuation whichever is earlier. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the date specified under column (6).

MADHU WADHWAN SINHA, Director
[ADVT.-III/4/Exty./46/17]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number 001/2014/F. No. SR/S9/Z-08/2011, dated the 24th April, 2014.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.03.12 10:46:03 +05'30'